



माखनलाल चतुर्वेदी राष्ट्रीय पत्रकारिता एवं संचार विश्वविद्यालय

(मध्य प्रदेश विधानसभा के अधिनियम क्रमांक 15, 1990 द्वारा स्थापित)

MAKHANLAL CHATURVEDI NATIONAL UNIVERSITY OF JOURNALISM AND COMMUNICATION

(Setup by Act No.15, 1990 of M.P. Legislative Assembly)

क्र./अका./2026/ 173

भोपाल, दिनांक 16.02.2026

अधिसूचना

माखनलाल चतुर्वेदी राष्ट्रीय पत्रकारिता एवं संचार विश्वविद्यालय अधिनियम क्रं. 15 सन् 1990 की धारा 29 (छह) के अन्तर्गत गठित विश्वविद्यालय की प्रबंध समिति में महापरिषद की बैठक दिनांक 08-07-2025 में निम्नानुसार सदस्यों का नामांकन किया गया है।

प्रबंध समिति		
क्रं.	अधिनियम की धारा	नामांकित सदस्य का नाम
1	धारा 29 (छह)	डॉ. खेम सिंह डहेरिया
2		डॉ. शिरीष काशीकर
3		श्री गजेन्द्र चौहान

प्रबंध समिति के सदस्य का कार्यकाल महापरिषद में उनकी सदस्यता अवधि के समान होगा। प्रबंध समिति की शेष संरचना अधिनियम के प्रावधानों के अनुसार रहेगी।
(वरिष्ठ स्तर से अनुमोदित)

(प्रो. पी. शशिकला)
प्रभारी कुलसचिव

पृ.क्र./अका./2026/ 174

भोपाल, दिनांक 16.02.2026

प्रतिलिपि:-

1. निज सचिव, मा. मुख्यमंत्री को सूचनार्थ।
2. निज सचिव मा. जनसम्पर्क मंत्री म.प्र. शासन को सूचनार्थ।
3. निज सचिव, सचिव जनसम्पर्क म.प्र. शासन को सूचनार्थ।
4. संबंधित माननीय सदस्य सर्वश्री को सूचनार्थ।
5. निज सचिव कुलपति, निज सहायक कुलाधिसचिव/कुलसचिव को सूचनार्थ।
6. समस्त विभागाध्यक्ष/परिसर प्रभारी को सूचनार्थ एवं पालनार्थ प्रेषित।
7. निदेशक, संबद्ध अध्ययन संस्थान को सूचनार्थ।
8. परीक्षा नियंत्रक को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु।
9. वित्त अधिकारी को सूचनार्थ।
- ✓ 10. वेबसाइट प्रभारी को वेबसाइट पर प्रकाशनार्थ।
11. आदेश पुस्तिका।

(प्रो. पी. शशिकला)
प्रभारी कुलसचिव